



## रायपुर विकास प्राधिकरण

भक्त माता कर्मा व्यावसायिक परिसर  
न्यू राजेन्द्रनगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)

// अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक- 21/दिनांक 04.10.2014

रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा छ.ग. शासन के एकल प्रणाली पंजीयन के अंतर्गत "द" श्रेणी (एक करोड़ तक के निर्माण कार्यों के लिये) एवं उससे ऊपर की श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु मुहरबंद निविदाएँ प्राधिकरण की निर्धारित निविदा प्रपत्र में नीचे उल्लेखित कार्य के लिये दिनांक 22/10/2014 को अपरान्ह 4.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जो उसी दिन अपरान्ह 4.15 बजे तक प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित निविदाकर्ताओं के समक्ष खोली जावेगी। तत्संबंध में निविदा एवं संशोधन आदि की जानकारी प्राधिकरण के website- [www.rdarapur.com](http://www.rdarapur.com) पर देखी जा सकती है।

कं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र प्रतिशत दर/ आयटम दर	निविदा प्रपत्र की कीमत	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	6	7	8
1	डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी आवासीय योजनातर्गत "बोरियाखुर्द" 1800 प्लैट्स में मरम्मत एवं बाह्य भाग में रंगाई, पुताई का कार्य	रु0 31.14 लाख	रु0 24,000/-	"अ" प्रतिशत दर पर	रु. 1,500/-	चार माह
2	डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी आवासीय योजनातर्गत "बोरियाखुर्द" 1800 प्लैट्स में वार्षिक बाह्य साफ-सफाई, कचरा उठाने का कार्य एवं नाली का सफाई कार्य	रु0 7.50 लाख	रु0 5,700/-	"बी" आयटम रेट पर	रु. 750/-	एक वर्ष
3	शारदा चौक योजनातर्गत आवासीय एवं व्यावसायिक परिसर में मरम्मत एवं बाह्य भाग में रंगाई, पुताई का कार्य	रु0 11.14 लाख	रु0 8,500/-	"अ" प्रतिशत दर पर	रु. 750/-	एक माह

निविदा प्रपत्र प्राधिकरण कार्यालय में सहायक अधीक्षक (तक.) से शासकीय कार्य दिवसों में दिनांक 21/10/2014 को दोपहर 1.30 बजे तक निर्धारित राशि नगद में राशि जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। धरोहर राशि दिनांक 22/10/2014 को 1.30 बजे तक एफ.डी.आर के रूप में जो कि रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर के नाम पर देय हो, प्रस्तुत करना होगा। निविदा प्रपत्र प्राप्त करने के लिए ठेकेदारों को निम्नानुसार जानकारी/अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य है। (1) निर्धारित श्रेणी का वैध पंजीयन। (2) वाणिज्यिक अधिनियम अंतर्गत पंजीयन एवं आयकर के पेनकार्ड की प्रति जमा करना होगा। (3) बिंदु क्रमांक 1 के कार्य हेतु 05.00 लाख एवं क्रमांक 2, 3 के कार्यों हेतु रू0 3.00 लाख तक का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा अधिप्रमाणित शोध क्षमता प्रमाण-पत्र। (4) सर्विस टैक्स अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन (5) ई0 एस0 आई0 सी0 अधिनियम के अंतर्गत सम्बंधित दस्तावेज ।



अधीक्षण अभियंता  
रायपुर विकास प्राधिकरण,  
रायपुर (छ.ग.)

OR